कार्यालय कलेक्टर (जनजातिय कार्य विभाग) जिला झाबुआ (म.प्र)

क्रमांक / 1266 / निर्माण / 2026–27 / 3236 झाबुआ, दिनांक 06/05/2026

:: द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना ::

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से भवन निर्माण हेतु प्रमुख अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, भोपाल द्वारा जारी भवन एवं विद्युत कार्य हेतु एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 से प्रभावशील एवं आज दिनांक तक के संशोधनों सहित विभागीय संस्थाओं– कन्या उमावि. झाबुआ के लिये अतिरिक्त कक्षों के निर्माण कार्यों की ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारियां www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

विभागीय संस्थाओं में आवश्यक संधारण मरम्मत एवं नवीन लघुमूल निर्माण कार्य विवरण, परिशिष्ट						
क्र.	पोर्टल क्रमांक	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि (लाखों में)	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_TAD_504549_1	कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाबुआ में 10 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य	176.06	176060	10000	12 माह वर्षाकाल सहित

नोट :–

- उक्त निविदाओं को वेब साईट पर ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 26.05.2026–. समय सांय 06.00 बजे तक निर्धारित है। (Tender Document) वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** के माध्यम से क्रय किया जावेगा।
- कार्य संबंधी विस्तृत विवरण एवं निविदा की शर्ते आदि वेबसाईट https://mptenders.gov.in या सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के कार्यालय मे देखी जा सकती है।
- समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतीक्षा न करे। शीघ्रताशीघ्र बिड जमा करे एवं अवांछित दस्तावेज अपलोड ना करें। वेबसाईट मे किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- वित्तिय प्रस्ताव किसी भी स्थिति मे ऑफलाईन (हार्ड कॉपी मे) मान्य नही होगा। यदि वित्तिय प्रस्ताव मोहरबंद लिफाफे मे या किसी भी प्रकार से ऑफलाईन दिया गया तो वह बिड अमान्य कर दी जावेगी।
- लोक निर्माण विभाग भवन के टेण्डर दस्तावेज 2.10 अनुसार राशि रू.1.00करोड़ से अधिक लागत के नवीन भवन निर्माण कार्यो में प्री क्वालिफिकेशन क्राईटेरिया लागु होने से इन उपरोक्त कार्यों में विशेष शर्तो का समावेश है

निविदाकार द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये जाने वाले अनिवार्यतः दस्तावेजः–

1. अमानत राशि जो सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के कार्यालय के पक्ष मे देय एवं स्थानीय शाखा में भुगतान के योग्य हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो।
2. वैद्य पंजीयन प्रमाण पत्र,
3. निविदाकार को किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड नहीं होने संबंधी स्वयं प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. जीवित जी.एस.टी. पंजीयन।

CamScanner

5. पेन कार्ड।
6. शपथ पत्र एनेक्जर–बी (स्टॉम्प राशि रु.200/– पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)
7. Organizational Detail – अनुलग्नक–एच (Annexure-H)
8. विगत 3–वर्ष की आयकर विवरणी(विगत 3–वर्ष का इन्कम टेक्स रिटर्न)
9. सी.ए.द्वारा जारी(UDIN):– विगत 5–वर्षों में किये गये कार्य का ओसत टर्नऑवर, जो कि वर्तमान निविदा लागत के 50 प्रतिशत के समकक्ष या अधिक होना चाहिये।
10. भौतीक तथा वित्तीय कार्यानुभवन के तहतः– समान कार्यानुभव हेतु निविदा राशि का 50% का 1–कार्य अथवा 30% के 2–कार्य अथवा 20% के 3–कार्य जो विगत 5–वर्षों में पूर्ण किये गये हो एवं कार्यों की पूर्णता का प्रमाण पत्र कार्यपालन यंत्री स्तर के अधिकारी द्वारा जारी हो।
11. बीड केपेसिटीः– निविदाकार की वित्तीय बीड केपेसिटी निविदा लागत से कम नहीं होना चाहिये।
12. Annexure-I के अन्तर्गत Format I-1 से Format I-5

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली चैक लिस्टः–

क्र	वॉछित दस्तावेज	पृष्ठ	रिमार्क
1	अमानत राशि/निविदा प्रपत्र की रसीद		
2	ठेकेदारी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र		
3	नॉन ब्लैक लिस्टेड– स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र		
4	जीवित जी.एस.टी. पंजीयन		
5	पेन कार्ड		
6	एनेक्जर–बी (स्टॉम्प राशि रु.200/– पर नोटरी द्वारा प्रमाणित)		
7	अनुलग्नक–एच (Annexure-H)		
8	विगत 3–वर्ष की आयकर विवरणी		
9	सी.ए.द्वारा जारी(UDIN):– विगत 5–वर्षों में किये गये कार्य का ओसत टर्नऑवर,		
10	भौतीक तथा वित्तीय कार्यानुभवन		
11	बीड केपेसिटीः–		
12	Annexure-I के अन्तर्गत Format I-1 से Format I-5		
	कुल पृष्ठ		

उपरोक्तानुसार अपेक्षित किसी भी दस्तावेज के ऑनलाईन प्राप्त नहीं होने की दशा में अथवा अपूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने की दशा में निविदाकार अपात्र हो जाने पर संबंधित ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

निविदाकार के द्वारा ऑनलाईन अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज(निविदा शर्तों के अनुसार) सही पाये जाने पर ही वित्तीय ऑफर ऑनलाईन रूप में निर्धारित दिनांक को खोले जावेगें।

निविदा की सामान्य शर्ते :–

1. प्रत्येक निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निम्न दस्तावेज, लिफाफा–ए मे स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है।
2. अमानत राशि जो सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के कार्यालय के पक्ष मे देय एवं स्थानीय शाखा मे भुगतान के योग्य हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो।
3. यदि ब्लेक लिस्टेड होने के संबंध में कोई जानकारी विभाग को प्राप्त होती है तो इस स्थिति में संबंधित निविदाकार/ठेकेदार की निविदा/अनुबंध को समाप्त कर दिया जावेगा एवं इस हेतु शासन को होने वाली आर्थिक हानि के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।

CS CamScanner

4-

Key Dates :--

Sr. No.	Work Department Stage	Start	
		Date	Time
1	Publishing Date	06.05.2026	10.30 AM
2	Document Download/Sale Start Date	11.05.2026	10.30 AM
3	Bid Submission Strat Date	11.05.2026	10.30 AM
4	Bid Submission Closing Date	26.05.2026	06.00 PM
5	Bid Opening Date	28.05.2026	11.30 AM

5. पूर्ण निविदा प्रस्ताव ऑनलाईन दिनांक एवं समय के अनुसार मान्य किये जावेगें।

6. निविदाकार को समस्त अभिलेख स्वसत्यापित प्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

7. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, म0प्र0 भोपाल के आदेशानुसार निर्माण कार्यो में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग नियमानुसार किया जावेगा।

निविदाकार को तकनिकी रूप से स्वीकृत प्राक्कलन में उल्लेखित सभी कार्यो को गुणवत्तापूर्ण रूप से उपयुक्त सामग्री का उपयोग करते हुए विभागीय उपयंत्री के मार्गदर्शन में पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा तथा वरिष्ठ विभागीय/अन्य तकनिकी अधिकारियों के द्वारा स्वीकृत कार्य संबंध में कोई तकनिकी सुधार कार्य के निर्देश प्रदान किये जाते है तो विभागीय निर्देशों के तहत तकनिकी रूप के कार्यो को करना अनिवार्य होगा।

8. निर्माण कार्यो पर देखरेख हेतु ठेकेदार को नियमानुसार स्नातक सिविल इंजिनियर कार्यस्थल पर रखना अनिवार्य होगा, अनुबंध के पूर्व साईट इंजिनियर के अनुबंध की कॉपी इस कार्यालय में जमा करनी होगी। निविदाकार द्वारा तकनिकी अमले को नहीं लगाने पर पैनल्टि की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी, वर्क प्रोग्राम के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं देने पर ठेकेदार का अनुबंध विखण्डित कर ईएमडी जप्त कर पूनः निविदा आमंत्रित की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मैदारी ठेकेदार की होगी।

9. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार सक्षम प्राधिकारी के पास सुरक्षित होगा। कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं होगा।

10. कार्य मे किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर अथवा किन्ही भी परिस्थितियों मे मुल्य वृद्धि देय नही होगी।

11. अंतिम देयक के भुगतान के पूर्व खनिज गौण सम्पदा का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

12. कार्य मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री का उपयोग निविदा दस्तावेज मे उल्लेखित मेन्डेटरी टेस्ट सूची अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण कराये जाने के उपरांत किया जावे।

13. विभाग द्वारा निर्धारित स्पेशीफिकेशन के अनुसार निर्माण कार्य संपादित कराना अनिवार्य होगा, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के स्थल पर निविदा के आमंत्रित कार्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तनशील कार्य नहीं किया जावेगा, यदि निविदाकार द्वारा समयावधी में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो निविदा प्रपत्र एपेंडिक्स 2.10 की कण्डिका अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. कार्य करने के दौरान किसी भी श्रमिक की दुर्घटना का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित ठेकेदार का ही होगा। ठेकेदार की यह व्यक्तिगत जिम्मैवारी होगी कि कार्य में संलग्न मजदूरों की मजदूरी का भुगतान श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर ही हो, साथ ही मजदूरों के सुरक्षा बीमा, सुरक्षा उपकरण हेतु भी ठेकेदार व्यक्तिगतरूप से उत्तरदायी होगा किसी भी दशा में विवाद की स्थिति अथवा दुर्घटना की स्थिति में विभाग जिम्मैवार नहीं होगा।

CS CamScanner

15. निविदाकार या फर्म के द्वारा एक कार्य की एक से अधिक निविदा प्रस्तुत नही की जावेगी। प्रत्येक कार्य के लिए निविदाकार के द्वारा पृथक–पृथक रूप से निविदा प्रस्तुत की जावेगी।

16. **निविदा स्वीकृति उपरांत अनुबंध हेतु प्रेषित पत्र के तहत निविदाकार को 15–दिवस में अनुबंध करना होगा।विभाग द्वारा जारी प्रथम पत्र में उल्लेखित समय सीमा में यदि ठेकेदार द्वारा Performance Guarantee** एवं **Additional Performance Guarantee** की राशि की एफडीआर सहित अनुबंध हेतु उपस्थित नहीं होता है तो विभाग द्वारा शासन हित में एकतरफा कार्यवाही करते हुए निविदाकार द्वारा कार्य हेतु जमा की गई धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी एवं इस हेतु समयावधी उपरांत ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी क्लेम मान्य नहीं किया जावेगा।

17. वर्क कॉन्ट्रेक्ट के मूल्य संबंध में मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रसारित राजपत्र(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2025 अनुसार राशि रूपये पचास लाख तक 1000/–रूपये तथा संविदा मुल्य पचास लाख से अधिक होने पर– 10,00,000/– रूपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, 0.2 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य रहेगा।

18. निविदा दर स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार को समयावधि में अनुबंध हेतु प्रेषित पत्र के तहत निविदाकार को 15–दिवस में 5% Performance Guarantee एवं Additional Performance Guarantee की राशि मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ–53/02/2011/यो./19/524 भोपाल दिनांक.14.02.2025 अनुसार एफडीआर (जो सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ के पक्ष मे देय हो तथा कार्यावधि के लिए जमा हो) सहित अनुबंध हेतु कार्यालय में उपस्थित होकर अनुबंध संपादित किया जाना अनिवार्य होगा।

19. किसी भी कार्य की निविदा दर एस.ओ.आर की दर से **10%** कम **(Below)** से अधिक कम **(Below)** प्राप्त होने पर न्युनतम निविदा दर हेतु **Additional Performance Guarantee** राशि की एफ.डी. आर. अनुबंध के पूर्व सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।

20. कार्य हेतु दी गई समयावधि मे कार्य पूर्ण करना होगा, यदि निविदाकार द्वारा समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो शासन नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही राजस्व वसुली की भांती की जावेगी। निविदा मे अंकित कार्य का स्थान परिर्वतन करने हेतु जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.भोपाल/जिला कार्यालय झाबुआ को पूर्णतः अधिकार रहेगा।

निविदाकार द्वारा अनुबंध करने के पश्चात कार्यादेश जारी होने पर 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो स्वीकृत निविदा निरस्त किये जाने के संबंध में सक्षम अधिकारी को आगामी कार्यवाही का पूर्ण अधिकार होगा एवं कार्य प्रारंभ न किये जाने के फलस्वरूप पूनः निविदा आमंत्रित किये जाने की स्थिति में निविदाकार के द्वारा जमा की गई एफडीआर/ **Performance Guarantee /Additional Performance Guarantee** की राशि राजसात की जावेगी।

21. कार्यो के देयको का भुगतान शासन से कार्य स्वीकृति तहत उपलब्ध कराये जाने वाले मदवार आवंटन के अनुसार किया जावेगा ।

22. निविदा मे अंकित कार्य की मात्रा को कम या ज्यादा करने हेतु कार्यालय को पूर्ण अधिकार होगा।

23. निविदा की विस्तृत समस्त शर्ते **Appendix 2.10 Tender Document** अनुसार रहेगी, विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य जानकारी वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

24. शासन नियमानुसार लागू व मान्य सुरक्षा निधि/आयकर/जीएसटी तथा श्रमिक कल्याण निधि की राशि का कार्य के देयकों से कर कटोत्रा नियमानुसार किया जावेगा।

CS CamScanner

25. निविदाकार के द्वारा विगत 5–वर्षों में विभाग/कार्यालय अन्तर्गत स्वीकृत अनुबंधित किसी कार्य को अपूर्ण स्थिति में रखा या छोड़ा गया है तो वह ठेकेदार/निविदाकार इस निविदा में निविदा प्रस्तुति के लिये अपात्र होगा।

26. निविदा से संबंधित किसी भी वाद–विवाद पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ

पृ.कंमाक/1266/निर्माण/2026–27/3237 झाबुआ, दिनांक : 06/05/2026

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. कलेक्टर जिला झाबुआ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ।
4. संभागीय उपायुक्त,जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति विकास इन्दौर संभाग इन्दौर।
5. कार्यपालन यंत्री जनजातीय कार्य विभाग म.प्र.भोपाल।
6. कार्यपालन यंत्री जनजातीय कार्य विभाग इन्दौर संभाग इन्दौर।
7. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भवन) झाबुआ।
8. कार्यपालन यंत्री, लोक निमार्ण विभाग, झाबुआ।
9. जिला कोषालय अधिकारी जिला झाबुआ।
10. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, झाबुआ की ओर सूचनार्थ।
11. सहायक यंत्री, जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ।
12. खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड ....समस्त।
13. संबंधित प्राचार्य/संबंधित संस्था/संबंधित अधीक्षक..................................... ।
14. उपयंत्री जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ।
15. विभागीय जनजातीय कार्यालय, कलेक्टोरेट परिसर झाबुआ के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
16. कार्यालयीन शाखा–..................................जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ।

सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग, झाबुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by SURESH BHURIYA
Date: 2026.05.06 19:33:32 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

CamScanner